

## प्रेस नोट दिनांक 09.02.2021

इटावा पुलिस द्वारा थाना लवेदी पर पंजीकृत अपहरण एवं हत्या के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अपहरण एवं हत्या में संलिप्त 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में एसओजी एवं थाना लवेदी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना इकदिल पर पंजीकृत हुए अपहरण के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अपहरण के बाद हत्या करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.01.2020 को थाना लवेदी पर वादिया नीलम देवी पत्नी वेदप्रकाश निवासी पीपरीपुर धार द्वारा अपने पुत्र गजेन्द्र की गुमशुदगी के संबंध में सूचना दी गई थी। जिसके संबंध में थाना लवेदी पुलिस द्वारा गजेन्द्र की गुमशुदगी दर्ज की गई बाद में परिजनों द्वारा गजेन्द्र के बारे में जानकारी करने पर मिले साक्ष्यों के आधार पर गजेन्द्र के अपहरण होने सूचना दिनांक

13.02.2020 को थाना लवेदी पुलिस को दी गई जिसके संबंध में थाना लवेदी पुलिस द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 07/20 धारा 364,506 (बढोत्तरी धारा 302,201 भादवि) भादवि बनाम पुत्तन तिवारी अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अपहरण की घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा एसओजी एवं थाना लवेदी पुलिस से दो टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु निरंतर कार्यवाही करते हुए दबिस दी जा रही थीं एवं इलैक्ट्रॉनिक तथा मैनुअल साक्ष्यों का भी संकलन कर प्रकरण के खुलासे हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी इसी क्रम में पुलिस टीमों द्वारा ग्राम लवेदी में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 07/20 से संबंधित वांछित अभियुक्त अपने ग्राम नवादा के चौराहे पर कहीं भागने की फिराक में खडा हुआ है। पुलिस टीमों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंचकर देखा तो वहां पर एक व्यक्ति खडा हुए दिखाई दिया जोकि पुलिस टीम को देखकर जंगल की तरफ भागने लगा जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेरकर पकड लिया गया।

पुलिस टीम द्वारा पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम व पता बताने के साथ ही बताया कि वह थाना लवेदी से मु0अ0सं0 07/20 धारा 364,506 भादवि में वांछित अभियुक्त है।

पुलिस टीम द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में कडाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैं (अंशू), मृतक गजेन्द्र एवं पुत्तन तिवारी आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं एवं पुत्तन के अन्य मित्र रामवीर तिवारी, रघुवीर तिवारी एवं श्यामवीर तिवारी पुत्र रामबाबू तिवारी निवासी लहुन्ना थाना सिविल लाइन है और इनका भी पुत्तन के घर आना जाना रहता था इसी कारण हम लोग आपस में मित्र थे। मृतक गजेन्द्र के हमारे मित्र पुत्तन के बडे भाई अजय तिवारी की बेटी के साथ प्रेम संबंध थे जिन्होंने बिना बताये मंदिर मे जाकर प्रेम विवाह कर लिया था जिसके कारण पुत्तन बहुत नाराज था। इसी कारण हम लोगों ने मिलकर गजेन्द्र को मारने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार ही हम लोगों ने दिनांक 06.01.2020 को गजेन्द्र को अपने घर ग्राम नवादा दावत के लिए बुलाया था

और उसे शराब पिलाई और हम सभी लोगो ने मिलकर गजेन्द्र को कार में डालकर जैतपुरा नहर की पटरी पर कार मे ही गजेन्द्र के हाथ पैर पकडकर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बोरे में बंद कर नया बेला के पास चंबल नदी में फेंक दिया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अंशू चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी ग्राम नवादा खुर्द थाना लवेदी जनपद इटावा ।

### पुलिस टीम-

प्रथम टीम- उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह यादव प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री वी0के0 सिंह प्रभारी सर्विलांस, उ0नि0 अविनाश गुप्ता  
क्राइम ब्रांच मय टीम ।

द्वितीय टीम- उ0नि0 श्री सुरेश चन्द्र थानाध्यक्ष लवेदी मय टीम ।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा